(33)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **इकबाल सिंह बैंस**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3883/पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.09.2013 पारित द्वारा कलेक्टर, जिला ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 04 /11-12/स्व.निगरानी.

स्मार्ट इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस लिमिटेड
ए-8, मोदीनगर बिल्डिंग रोड, चन्द्रावर्कर,
लेन बोरीबली वेस्ट मुम्बई जरिये डायरेक्टर
अशोक कुमार माखीजा पुत्र प्रेमचंद माखीजा
निवासी-108/49 गांधीनगर कानपुर .....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. जगदीश
3. रामज्ञान
4. संतोष
5. महेश पुत्रगण होलू
6. आशाराम पुत्र दुर्गा नाई
7. हरप्रीत सिंह पुत्र चरनजीत सिंह
8. जगजीतसिंह पुत्र चरनजीत सिंह

निवासीगण ग्राम बरौआ, नूराबाद
तहसील जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, आवेदक
श्री राजेन्द्र जैन, शासकीय अभिभाषक, अनावेदक क्र. 1
श्री एस.के. अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदक क्र. 2 लगायत 6

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28-8-19 को पारित)

आवेदक स्मार्ट इन्वेस्टमेन्ट एण्ड फायनेंस लिमिटेड द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर, जिला ग्वालियर के स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 04/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 09.09.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर ने अपने प्रतिवेदन दिनांक 28-08-2009 में यह प्रतिवेदित किया कि ग्राम बरौआ नूराबाद, तहसील ग्वालियर की भूमि सर्वे क्रमांक 1131, 1132 व 1133 में से कतिपय भूमि जगदीश, रामज्ञान, संतोष पुत्रगण होलू नाई तथा होलू पुत्र दुर्गा नाई एवं आशाराम पुत्र दुर्गा नाई को वंटित की गई थी । पट्टेदारों द्वारा यह भूमि हरप्रीत सिंह तथा जगजीत सिंह दोनों पुत्र चरनजीत सिंह को विक्रय करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई । पट्टे की शर्तो तथा संहिता की धारा 165(7)(ख) का उल्लघंन पाये जाने पर जिला कलेक्टर ने प्रश्नाधीन भूमि का बंटन निरस्त कर दिया तथा अनुविभागीय अधिकारी को राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि सुधारने के निर्देश दिये । कलेक्टर, जिला ग्वालियर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि उन्होंने संबंधित भूमि हरप्रीत सिंह तथा जगजीत सिंह से पंजीकृत विक्रय पत्रों द्वारा क्रय किया तथा उनका नामान्तरण भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया । जिस समय यह भूमि क्रय की गई थी तत्समय भूमि शासन द्वारा पट्टे पर दी गई है, संबंधी कोई प्रविष्टि अभिलेखों में नहीं थी । वह एक सद्भाविक क्रेता है । उन्होनें यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 2010(4) म0प्र0लॉ जनरल 178 रणवीर सिंह विरूद्ध शासन में यह विधि स्थापित की है कि जिस कार्यवाही को स्वमेव पुनरीक्षण में लिया जावे, वह उक्त कार्यवाही की जानकारी होने के 180 दिन के भीतर ली जाना चाहिये । इस प्रकरण में अपर कलेक्टर ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 2009 में दिया था । पुनरीक्षण की प्रक्रिया जिला कलेक्टर द्वारा वर्ष 2012 में की गई । यह 180 दिन से अधिक अवधि है । नामान्तरण प्रकरणों के अभिलेख का अवलोकन किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया । अतः इसे निरस्त किया जाना विधिसम्मत् होगा ।

4/ राजस्व न्यायालय को प्रकरणों के तथ्यों के आधार पर स्वविवेक से पुनरीक्षण स्वीकार करने के पूर्ण अधिकार है । न्यायहित तथा शासन हित में विधि द्वारा स्थापित परिसीमन (लिमिटेशन) में छूट प्रदान की जा सकती है । स्वमेव निगरानी के प्रकरण के निराकरण में जिला कलेक्टर को संबंधित नामान्तरण प्रकरणों के अवलोकन की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

5/ प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के आधारों पर यह निगरानी स्वीकार नहीं की जा सकती है । कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 04/11-12/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 09-09-2013 यथावत रखा जाता है । अतः यह निगरानी निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । मूल अभिलेख संबंधित न्यायालय को भेजा जाये ।

(इकबाल सिंह बैंस)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर